न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला–अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या– 24 सन् 2015

श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री पूनमचन्द उर्फ पुनाराम जाति भांबी निवासी– 23, निर्मल विहार कालोनी, देलवाडा रोड, ब्यावर जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र स्व0 श्री काना जी
2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री काना जी
3. छगनलाल पुत्र स्व0 श्री काना जी
4. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री काना जी
5. श्रीमती हाफू पत्नी स्व0 श्री काना जी
   समस्त जाति माली निवासीयान– ग्राम दाना जी की ढाणी खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील परिसर, मसूदा राज0

..... अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांकः– 08.12.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र मे सारांशत निवेदन किया है कि मौजा दानाजी की ढाणी पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0न0 945/1 रक्बा 9–09–00 बीघा मे प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की इस आराजी मे अप्रार्थी स0 1 से 5 दखलंदाजी करते रहते है। तथा प्रार्थिया की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। इसलिये प्रार्थीया इसकी विधिक रूप से सीमांकन करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहती है। अतः प्रा0 पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करे।

जवाब प्रा0 पत्र मे अप्रार्थी स0 1 से 5 ने प्रार्थना पत्र कथनो को नकारते हुए निवेदन किया है कि ग्राम दानाजी की ढाणी मे प्रार्थीया के खेत से लगायत अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 944 रक्बा 6 बीघा स्थित है। जिस पर आने जाने व हल ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिये अप्रार्थीगण के खेत स0 944 की पश्चिमी उत्तरी दिशा मे स्थित ख0न0 945 के उत्तरी भाग की ओर स्थित ख0न0 945/1 व 945/3 से होकर 30 फिट चौडा रास्ता पश्चिम से पूर्व की और जाकर अप्रार्थीगण के खेत ख0न0 944 मे जाता है जिसे अप्रार्थीगण कदीमी से उपयोग उपभोग मे लेते आये है इस रास्ते के अलावा अप्रार्थीगण के खेत 944 पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। लेकिन प्रार्थीया ने जब से खेत ख0न0 945/1 रक्बा 9–09–00 बीघा खरीदा है। तब से मौके पर तिराहे से आगे अप्रार्थीगण को उनके खेत

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

खेतो के तिराहे स्थित रास्ते की भूमि मे बिना आम सहमति एंव सरकार स्वीकृती के अप्रार्थीगण को उनके खेत 944 पर जाने से रोकने व परेशान करने की मंशा से बदनियतीवश एक कमरा बना दिया है तथा कमरे एंव विधुत ट्रांसफर्मर के मध्य लोहे का गेट लगा दिया है जिसके लिए मना करने पर रास्ता खोलने से इन्कार कर दिया है।

अतः अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय मे इस प्रा0 पत्र से पूर्व एक प्रा0 पत्र प्रकरण स0 32/14 से धारा 251 (A)(1) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर डी एल सी रेट पर ख0न0 944 पर आने जाने के लिए रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण एंव प्रार्थीया के क्रमशः खेत न0 944 एंव 945/1 की सीमा पर मेडे बनी हुई है। जो दोनो को पृथक पृथक करती है। ख0न0 945/1 की उत्तर दिशा मे ख0 न0 945/3 चम्पालाल वगैरह का है दक्षिण मे खेत 945/2 जो सूरज सिंह की खातेदारी का है पूर्व मे ख0न0 1137 के खातेदार सहित किसी पडौसी को पक्षकार नही बनाया है। अतः प्रा0 पत्र चलने योग्य नही। मौके पर कोई विवाद नही है। प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

प्रा0 पत्र पर बहस उभय पक्षान सुनी गई। बहस मे उभय पक्षान के तर्क विर्तक अपने अपने प्रा0 पत्र एंव जवाब प्रा0 पत्र अनुसार ही रहें है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नक्शा ट्रेस के अनुसार ख0न0 945 एक ही चक है जिसमे ख0न0 945/1 व 945/2 व 945/3 पृथक–पृथक तरमीम नही है।

अतः प्रथमत तो तरमीम किया जाना आवश्यक है। बाद तरमीम के ही प्रार्थीया के खेत की पत्थरगढी संभव है। इस प्रा0 पत्र मे प्रार्थीया ने इस हेतु कोई निवेदन नही किया है। एसी स्थिती मे प्रा0 पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि तहसीलदार मसूदा को रू 2000/– कमीशन पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि ख0 न0 945 के तीनो खसरा नम्बरान की मौके की स्थिती अनुसार पृथक पृथक नक्शे मे तरमीम करे बाद तरमीम के वादिया के खेत की पत्थरगढी करवाने कर व्यवस्था करना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिंनाक 08.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.18 16:58:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: